केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179/ फोन TEL: 26858570
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं.11013/06/2017/केविसं(मु.)/प्रशा.II | 607-658 **दिनांक** : 22.04.2019

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं विस्तारित करने हेतु दिनांक 13.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 13.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जिसके माध्यम से केविसं के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिनके पास सेवा के दौरान सीजीएचएस कार्ड थे तथा जो सीजीएचएस सुविधा वाले शहरों में रह रहे हैं, के लिए सीजीएचएस सुविधाएं विस्तारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की जानकारी दी गयी थी, के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नए सीजीएचएस कार्ड बनवाने हेतु उनके अनुरोध पर कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर ध्यान दिया जाए :-

(क) केविसं का सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसके पास सेवा के दौरान सीजीएचएस कार्ड था तथा जो सीजीएचएस सेवा वाले क्षेत्र में रह रहा है, सीजीएचएस सुविधा हेतु अपने आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों सहित, सीजीएचएस अंशदान राशि के साथ संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी (पीएसए), जिसने कर्मचारी के पेंशन हितलाभ जारी किए, से अनुरोध कर सकता है। सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी/पेन्शनर द्वारा सीजीएचएस सुविधायें प्राप्त करने हेतु संशोधित मासिक अंशदान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09.01.2017 के का.ज्ञा. सं. एस-11011/11/2016-सीजीएचएस(पी)/ईएचएस द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

क्रम संख्या	**सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे-मैट्रिक्स में संबंधित स्तर**	**अंशदान (रुपये प्रति माह)**
1	स्तर: 1 से 5	250
2	स्तर: 6	450
3	स्तर: 7 से 11	650
4	स्तर: 12 तथा इससे ऊपर	1000

(ख) सेवानिवृत्त कर्मचारी से आवेदन प्राप्त होने के बाद संबन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का.)/आंचलिक संस्थान/केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) आवेदन पत्र में दिये गए विवरण तथा सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा वांछित दस्तावेज़ जैसे - एलपीसी, पीपीओ, आधार कार्ड, सेवा के दौरान जारी सीजीएचएस कार्ड, सेवा निवृत्ति के समय सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार देय कर्मचारी के पे-लेवल के अनुसार देय अंशदान संबंधी दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रतियों को सत्यापित करेंगे। उसके बाद,पीएसए नियत चिकित्सा भत्ते (एफ़एमए) के भुगतान को बंद करने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग , नई दिल्ली को पत्र लिखेंगे। पीएसए आवेदन पत्र को चैक/कर्मचारी के आवासीय पते के संबंध में सीजीएचएस की दरों के अनुसार देय राशि का ड्राफ्ट

सहित संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त जिनके क्षेत्राधिकार में वह सीजीएचएस से संबन्धित शहर आता है जहां कर्मचारी रहता है, को भेजेंगे ।

उदाहरण

एक उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त अथवा प्रशासनिक अधिकारी मुंबई संभाग से सेवानिवृत्त हुए, जिनका सेवा के दौरान सीजीएचएस कार्ड था तथा जो सीजीएचएस सुविधा वाले शहर में रह रहे हैं। वे अपना आवेदन (सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार देय कर्मचारी अंशदान जो केविसं (मु.) के पक्ष में देय हो तथा पैरा-ख में वर्णित दस्तावेजों सहित) पीएसए (केविसं मु.) को प्रेषित करेंगे। पीएसए आवेदन पत्र को सत्यापित करेंगे तथा उसे केविसं, क्षे.का., लखनऊ को चैक के साथ (सीजीएचएस केंद्र, लखनऊ में देयता के अनुसार) अग्रेषित करेंगे। चूंकि उपायुक्त, केविसं, क्षे.का., लखनऊ के क्षेत्राधिकार में सीजीएचएस केंद्र, लखनऊ आता है, आवेदन पत्र उपायुक्त क्षे.का., लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा तथा सीजीएचएस केंद्र, लखनऊ को चैक/डीडी तथा सीजीएचएस कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजा जाएगा। उपायुक्त, लखनऊ एक रजिस्टर भी तैयार करेंगे जिसमें कर्मचारी का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, सीजीएचएस कार्ड संख्या, कार्ड की वैधता तथा जहां से सेवानिवृत्ति हुई हो उस केन्द्रीय विद्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय का विवरण सहित पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का विवरण रखा जाएगा। उसके बाद उपायुक्त, केविसं, क्षे.का., लखनऊ सीजीएचएस द्वारा जारी कार्ड (इंडेक्स कार्ड) की एक प्रति रखेंगे। मुंबई से सेवानिवृत्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त/ प्रशासनिक आधिकारी के संबंध में सभी चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति क्षे.का., लखनऊ द्वारा की जाएगी।

(ग) संबन्धित उपायुक्त आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिसमें चैक अथवा डीडी भी शामिल है, प्रतिहस्ताक्षर करके सीजीएचएस कार्ड बनवाने हेतु सीजीएचएस केंद्र में भेजेंगे। यदि सेवानिवृत्त पदधारी उस सीजीएचएस केंद्र वाले शहर में रहता है जो पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के क्षेत्र में आता हो, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवेदन पत्र को संबन्धित सीजीएचएस केंद्र को अग्रेषित करेगा। संबन्धित उपायुक्त फार्म को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे तथा सीजीएचएस कार्ड बनवाने हेतु सीजीएचएस प्राधिकारी के पास भेजेंगे जिसकी सूचना सेवानिवृत्त पदधारी तथा पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भी दी जाएगी ।

(घ) क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त जिन्होंने आवेदन पत्र को सीजीएचएस कार्ड बनवाने हेतु सीजीएचएस केंद्र में भेजा, उसका उचित रिकॉर्ड रखेंगे तथा सीजीएचएस एवं जारी करने वाले रजिस्टर में जिसमें कर्मचारी का नाम तथा उनके परिवार के सदस्यों का विवरण, कार्ड की वैधता, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का विवरण तथा केन्द्रीय विद्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक संस्थान जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो का विवरण दिया हो, आवश्यक प्रविष्टि करेंगे।

(च) महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस), निर्माण भवन, नई दिल्ली के दिनांक 02.03.2010 के परिपत्र सं. ज़ैड-22025/4/2007- सीजीएचएस (स्टेटस सेल) द्वारा परिचालित केविसं द्वारा देय वार्षिक अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है। संबन्धित पीएसए वार्षिक अंशदान में से कर्मचारी का अंशदान घटाकर पैरा "क" में दिये गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार केविसं के शेयर की गणना करेंगे। उसके बाद पीएसए संपूर्ण राशि (केविसं का भाग तथा कर्मचारी का अंशदान) को उस उपायुक्त को अग्रेषित करेंगे जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी रह रहा है ।

(आंकड़े रुपयों में)

क.सं.	शहर का नाम	प्रति कार्ड कुल लागत 2009-10
1	अहमदाबाद	8667
2	इलाहाबाद	6292
3	बेंगलुरु	5736
4	भोपाल	3060
5	भुवनेश्वर	8943
6	चंडीगढ़	11449
7	चेन्नै	5236
8	देहरादून	8947
9	गुवाहाटी	4296
10	हैदराबाद	6097
11	जबलपुर	2925
12	जयपुर	18464
13	कानपुर	8447
14	कोलकाता	5397
15	लखनऊ	6033
16	मेरठ	14535
17	मुंबई	7372
18	नागपुर	8046
19	पटना	7765
20	पुणे	3593
21	रांची	7068
22	शिलांग	5553
23	तिरुवनंतपुरम	6762
24	दिल्ली	15368

- (डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा ये दरें 2009-10 के बाद संशोधित नहीं की गई।)

(छ) चिकित्सा दावे, यदि कोई हों, तो उनकी प्रतिपूर्ति उस केंद्रीय विद्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जाएगी जहां पदधारी निवास कर रहा है। सीजीएचएस द्वारा जारी सीजीएचएस कार्ड (इंडेक्स कार्ड) की प्रति को रिकॉर्ड के लिए रखा जाना चाहिए।

भवदीय,

(डॉ.शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)

वितरण:-

1. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केविसं (मुख्यालय) नई दिल्ली।
2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, केविसं से पत्र प्राप्त होने पर एफ़एमए को बंद करने के बारे में आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज जारी करें।
3. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.), केविसं के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
5. सहायक आयुक्त (ईडीपी), केविसं (मु.), केविसं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. समस्त अधिकारी, केविसं (मु.) को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।